पत्रांक- 3ए-3-भत्ता-01/2017- **8043** /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:- 11/10/2017

विषय:- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के विभिन्न भत्तों के वर्त्तमान दरों में संशोधन के संबंध में।

केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया है। उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया।

2. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24/05/2017 द्वारा दिनांक-01/01/16 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई है।

3. राज्य वेतन आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन (Volume-II) के अध्याय-3 एवं 4 में राज्य कर्मियों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर विभिन्न भत्तों के संशोधित दरों के सम्बन्ध में अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए जाते है:-

(A) मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance):- वित्त विभागीय संकल्प सं०-12372, दिनांक- 31/12/2009 द्वारा दिनांक-01/01/2010 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए मकान किराया भत्ता के संशोधित दर की स्वीकृति दी गई थी।

(i) राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में मकान किराया भत्ता की वर्त्तमान दरों को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है:-

वर्ग	शहर का नाम	भत्ता का दर
I	II	III
Y	पटना (यू०ए०)	मूल वेतन का 16%
Z	अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगुसराय (यू०ए०), बेतिया, भागलपुर (यू०ए०), बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डिहरी, गया (यू०ए०), गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार (यू०ए०), किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी	मूल वेतन का 8%

	(यू०ए०), मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णियाँ (यू०ए०), सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी (यू०ए०), सीवान, सुपौल।	
अवर्गीकृत शहर	....	मूल वेतन का 6%
ग्रामीण क्षेत्र	....	मूल वेतन का 4%

(ii) बिहार भवन, नई दिल्ली के कर्मियों के लिए मकान किराया भत्ता की दर मूल वेतन का 24% होगा।

(B) शहरी परिवहन भत्ता (City Transport Allowance):- वित्त विभागीय संकल्प सं०-7040, दिनांक-29/07/2011 द्वारा दिनांक-01/01/2010 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए शहरी परिवहन भत्ता के संशोधित दर की स्वीकृति दी गई थी।

(i) राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में शहरी परिवहन भत्ता की वर्त्तमान दरों को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है:-

क्रम सं०	वेतन स्तर	शहरी परिवहन भत्ता	
		(पटना यू०ए०)	अन्य नगर निगम
I	II	III	IV
1	वेतन स्तर-11 एवं अधिक	Rs. 4000+DA	Rs. 1500+DA
2	वेतन स्तर-7, 8 एवं 9	Rs. 3000+DA	Rs. 1000+DA
3	वेतन स्तर- 1 से 6	Rs. 1500+DA	Rs. 600+DA

(ii) बिहार भवन/बिहार निवास, नई दिल्ली के कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप शहरी परिवहन भत्ता अनुमान्य होगा।

(iii) उप सचिव एवं इससे ऊपर के पदाधिकारियों को कार्यालय आने-जाने हेतु स्वयं की गाड़ी के प्रयोग हेतु पूर्व से अनुमान्य प्रतिमाह अधिकतम 40 लीटर ईंधन की सुविधा समाप्त की जाती है।

(C) चिकित्सा भत्ता (Medical Allowance):- वित्त विभागीय संकल्प सं०-12357, दिनांक-31/12/2009 द्वारा दिनांक-01/01/2010 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए चिकित्सा भत्ता के संशोधित दर की स्वीकृति दी गई थी।

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सरकारी सेवकों को वर्त्तमान में प्रतिमाह रु० 200/- चिकित्सा भत्ता की दर को संशोधित कर **प्रतिमाह रु० 1000/- (एक हजार)** की दर से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(D) परिवार नियोजन भत्ता (Family Planning Allowance):- वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-5676, दिनांक-31/05/2010 द्वारा दिनांक-01/03/2010 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए परिवार नियोजन भत्ता के संशोधित दर की स्वीकृति दी गई थी।

राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में **राज्य कर्मियों के लिए पूर्व से अनुमान्य परिवार नियोजन भत्ता की सुविधा समाप्त की जाती है।**

(E) प्रतिनियुक्ति भत्ता (Deputation Allowance):- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12423, दिनांक- 31/12/2009 द्वारा दिनांक-01/01/2010 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए प्रतिनियुक्ति भत्ता के संशोधित दर की स्वीकृति दी गई थी।

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नरूपेण पुनरीक्षित दर पर प्रतिनियुक्ति भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाता है:-

(i) राज्य के अधीन प्रतिनियुक्ति के क्रम में मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत, अधिकतम रु० 2000/- (दो हजार) प्रतिमाह तथा

(ii) राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति के क्रम में मूल वेतन का 5 प्रतिशत, अधिकतम रु० 4000/- (चार हजार) प्रतिमाह।

(F) विशेष वेतन (Special Pay):- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-55, दिनांक-05/01/2010 द्वारा दिनांक-01/02/2010 के प्रभाव से सचिवालय में पदस्थापित अवर/उप/संयुक्त/अपर/विशेष सचिव तथा डिजाईन, प्लानिंग, अन्वेषण एवं शोध में पदस्थापित अभियंताओं को विशेष वेतन की स्वीकृति दी गई थी।

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व स्वीकृत विशेष वेतन की सुविधा समाप्त की जाती है।

(G) छुट्टी यात्रा रियायत (L.T.C.):- वित्त विभागीय पत्रांक-2894, दिनांक-17/03/2010 द्वारा दिनांक-01/04/2010 के प्रभाव से राज्य के सरकारी सेवकों को देश के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत भत्ता की सुविधा प्रदान की गई है।

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है:-

(i) राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भाँति प्रत्येक चार वर्षो के प्रति ब्लॉक में पूरे देश की सीमा के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत (एल०टी०सी०) की सुविधा अनुमान्य होगी।

(ii) वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने पूर्व के निर्णयों के आलोक में एल०टी०सी० सुविधा का उपयोग किया है, वे भी इस प्रावधान के अधीन एल०टी०सी० की सुविधा का उपभोग कर सकेंगे। यदि कोई कर्मी पूर्व के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2017 में एल०टी०सी० की

सुविधा का उपभोग कर चुका है, तो ऐसे कर्मी अगले चार वर्ष के ब्लॉक में इस सुविधा का हकदार होगा।

(iii) एल०टी०सी० से संबंधित दावा की प्रतिपूर्त्ति निम्नरूपेण अनुमान्य होगी:-

हवाई यात्रा:

क्रम सं०	वेतन स्तर	अनुमान्य श्रेणी
I	II	III
1	वेतन स्तर-11 एवं अधिक	Economy Class

रेल यात्रा:

क्रम सं०	वेतन स्तर	अनुमान्य श्रेणी
I	II	III
1	वेतन स्तर-12 एवं अधिक	A.C. 1st Class
2.	वेतन स्तर-6 से 11	A.C. 2nd Class
3.	वेतन स्तर-1 से 5	A.C. 3rd / A.C. Chaircar

वित्त विभाग द्वारा पूर्व में इस सन्दर्भ में निर्गत सभी परिपत्र/पत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

(H) नर्सों एवं ए०एन०एम०/एल०एच०भी० को वर्दी, धुलाई एवं नर्सिंग भत्ता:- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12417, दिनांक-31/12/2009 के द्वारा दिनांक-01/01/2010 के प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग के अधीन नर्सो एवं ए०एन०एम०/एल०एच०भी० को वर्दी, धुलाई एवं नर्सिंग भत्ता की स्वीकृति दी गई थी।

राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधीन नर्सो एवं ए०एन०एम०/एल०एच०भी० को दिये जाने वाले वर्दी एवं नर्सिंग भत्ता के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति निम्नरूपेण दी जाती है:-

(i) <u>वर्दी भत्ता (धुलाई भत्ता सहित)</u>:-

- नर्स - 1800/- प्रतिमाह
- ए०एन०एम०/एल०एच०भी० - 1800/- प्रतिमाह

(ii) <u>नर्सिंग भत्ता</u>:-

- नर्स - 4800/- प्रतिमाह

(I) साईकिल भत्ता (Cycle Allowance):- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12419, दिनांक-31/12/2009 द्वारा दिनांक-01/01/2010 के प्रभाव से राज्य के चतुर्थ वर्ग के सरकारी सेवकों को "साईकिल भत्ता" के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दी गई थी।

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वैसे कार्यालय परिचारी, जो डाक वितरण का कार्य करते हैं, को देय साईकिल भत्ता की दर पुनरीक्षित करते हुए **रु० 180/- प्रतिमाह** करने का निर्णय लिया गया है। यह भत्ता उन्हीं कर्मी को देय होगा जो निजी साईकिल का डाक वितरण के निमित्त उपयोग करते हैं। जिन्हें कार्यालय द्वारा साईकिल उपलब्ध कराई गई है, उन्हें यह भत्ता देय नहीं होगा।

(J) चालक भत्ता (Driving Allowance):- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12418 दिनांक-31/12/2009 द्वारा दिनांक-01/01/2010 के प्रभाव से राज्य के सरकारी वाहन चालकों को "चालक भत्ता" के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दी गई थी।

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सरकारी वाहन चालकों को पुनरीक्षित दर **रु० 1000/- (एक हजार) प्रतिमाह एवं बिहार भवन, नई दिल्ली के चालकों को रु० 1500/- (पन्द्रह सौ) प्रतिमाह** चालक भत्ता के भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है।

(K) पत्रिका भत्ता (Journal Allowance):- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-525, दिनांक-18/01/2010 द्वारा दिनांक-01/02/2010 के प्रभाव से राज्य के चिकित्सकों को पत्रिका भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के चिकित्सकों को उनके व्यवसायिक ज्ञान (Professional Knowledge) को बढ़ाने के निमित्त पत्रिका भत्ता के रूप में चिकित्सकों को प्रति वर्ष रु० 3000/- के बदले **रु० 4500/- (चार हजार पाँच सौ) की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है।** यह भत्ता उन्ही चिकित्सकों को अनुमान्य होगा जो अपने-अपने क्षेत्र (desciplines) में सूचीबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं (Journals) की सदस्यता (Subscription) का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(L) कार्यालय अवधि के अतिरिक्त कार्य करने हेतु क्षतिपूर्ति (Compensation for working beyond office hours):- वित्त विभागीय पत्रांक-7902, दिनांक-09/09/2015 द्वारा सरकारी कार्य के प्रयोजनार्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में देर रात तक अथवा अवकाश के दिन कर्त्तव्य पर उपस्थित रहने के फलस्वरूप उनको अल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था हेतु कार्यालय मद से अल्पाहार के लिए रु० 50/- तथा भोजन के लिए रु० 125/- प्रति व्यक्ति का दर निर्धारित किया गया है।

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त दर को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:-

(i) अल्पाहार - 100/- रुपया प्रति व्यक्ति।
भोजन - 250/- रुपया प्रति व्यक्ति।